

कार्यालय - मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक - 19

दिनांक - 29-04-2024

-: कार्यालय आदेश :-


मैं, मांडवी राजवी, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर एतद्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक-Gen-/XIX/Misc./ 2000/911/718, Dated 01-06-2001 की पालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 19(2) व 410(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि को माह मई, 2024 में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दं.प्र.सं. के वयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में (कार्यालय समय 09:00 ए.एम. से 11:30 ए.एम. तक) उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन, धारा 52-क के तहत इन्वेन्ट्री हो, तो उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूँ -

माह मई, 2024 हेतु -

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नं.
01.	05-05-2024	श्रीमती विजयश्री रावत	महानगर मजिस्ट्रेट (शहर), जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9468802513
02.	11-05-2024	श्री किशन सांदू	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 01, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	8290715433
03.	12-05-2024	श्री किशन सांदू	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 01, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	8290715433
04.	19-05-2024	श्री योगेश कुमार	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 04, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	8824231888
05.	25-05-2024	श्री दिलीप चौधरी	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 02, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9929933981
06.	26-05-2024	श्री दिलीप चौधरी	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 02, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9929933981

नोट - उक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु निम्न अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे -

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नं.
01.	05-05-2024	श्री पवीण चौधरी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सं. 02, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9828714545
02.	11-05-2024	श्रीमती रेखा रानी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सं. 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9521111457
03.	12-05-2024	श्रीमती रेखा रानी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सं. 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9521111457
04.	19-05-2024	श्रीमती ज्योत्सना मीना	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण) जोधपुर महानगर, जोधपुर।	8290595500


मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जोधपुर महानगर

05.	25-05-2024	श्री विजय प्रताप गोस्वामी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (किराया अधिकरण) जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9799023123
06.	26-05-2024	श्री विजय प्रताप गोस्वामी	अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, (किराया अधिकरण) जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9799023123

रिमाण्ड प्राधिकृत किए जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपर्युक्तानुसार द्राण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किए गए महानगर मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुल्जिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबंधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट - (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड इयूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर मुल्जिम को पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड इयूटी की जाएगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड इयूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड इयूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।


मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक - 01

दिनांक - 29-04-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
2. स्थापना शाखा, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
3. पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
4. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर को अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
5. अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय, अभिभाषक संघ, जोधपुर महानगर।
6. उपनिदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर को लेख है कि उक्त राजकीय अवकाश के दिवस को संबंधित न्यायालय में एपीपी की इयूटी लगाने की आवश्यक रूप से व्यवस्था करावें।

7. इयूटी ऑफिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
8. ऑफिसर इंचार्ज कंट्रोल एवं कमांड (पुलिस विभाग) सूचना केन्द्र के पास, जोधपुर को पुलिस वेबसाइट पर अपलोड करने व समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड, (ज्यूडिशियल सर्विस सेंटर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर)।
10. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर को वास्ते ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जोधपुर महानगर।
12. अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सं. - 2, 6, पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण तथा किराया अधिकरण, जोधपुर महानगर।
13. महानगर मजिस्ट्रेट (शहर), एन.आई. एक्ट सं. 1, 2, 4 जोधपुर महानगर।
14. कार्यालय प्रति।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।
जोधपुर महानगर